राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3714/2025

मृदुला चौबीसा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2025
आदेश की दिनांक : 22.08.2025
अपीलार्थी की ओर से : **श्री रामप्रताप सैनी, अधिवक्ता**

समक्ष :– पूनम दरगन, (न्यायिक) सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेडकिया, पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आदिवाली, उदयपुर कर दिया है, जबकि अपीलार्थी ने एमजीजीएस स्कूल की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था और उसका आईवीएफ उपचार भी हो चुका है। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 40 पर अंकित है। (अनुलग्नक–1) आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2025 के अनुपालन में, अपीलार्थी को दिनांक 02.07.2025 के आदेश द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त कर दिया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेडकिया, पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर में अध्यापिका ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2023 के अंतर्गत दिनांक 11.07.2024 को विज्ञापन जारी किया था, जिसके माध्यम से महात्मा गांधी एवं स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रतिवादियों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15.07.2024 से 22.07.2024 तक निर्धारित की थी। (अनुलग्नक–3) उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत अपीलार्थी पात्र होते हुए अपना आवेदन पत्र दाखिल करके

चयन प्रक्रिया में उपस्थित हुई। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया है जिसके द्वारा परीक्षा की तिथि 25.08.2024 निर्धारित की गई थी और उसे आवंटित की गई थी। इसके बाद अपीलार्थी परीक्षा में शामिल हुआ और प्रतिवादियों ने परिणाम जारी किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी को 100 में से 44 अंक प्राप्त हुए। (अनुलग्नक–5) इसके बाद प्रतिवादियों ने जिला आवंटन के संबंध में विकल्प भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए, जिसके तहत अपीलार्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाई क्योंकि उसने कोई पसंदीदा जिला नहीं भरा था। वह एमजीजीएस स्कूल में पोस्टिंग नहीं चाहती और अपनी पिछली पोस्टिंग वाली जगह पर ही रहना चाहती है। इस संबंध में उसने स्टाफ चॉइस अनलॉक रिक्वेस्ट का परफॉर्मा भी जमा किया था। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी का IV का उपचार भी चल रहा है और ऐसी परिस्थितियों में, उसने अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही बने रहने का अनुरोध किया है क्योंकि वह काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई थी। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 02.07.2025 को अपास्त फरमया जावे एंव अपीलार्थी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डेडकिया, पंचायत समिति गिर्वा, जिला उदयपुर में अध्यापक ग्रेड III लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
(न्यायिक)सदस्य